1-4-2021

पति/पत्नी पक्ष की वकील पत्नी हाजिर नहीं। वकील पत्नी को न्यायालय का समय पूरा होने तक बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज लगाने के बाद भी ना तो वकील पत्नी हाजिर और ना ही स्वयं पत्नी हाजिर आई। अतः अब आगामी निर्णय हेतु को अग्रिम तारीख तय पेशी में शामिल किया जाता है। पत्नी को तामील मुताबिक नजर सेवा दी व तामील दफ्तर है।

अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 11:09:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner